बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

आदेश

आदेश संख्याः– 3/अ0प्र0–1–135/13 526 /पटना, दिनांक :– 5-3-21

श्री नवल किशोर चौधरी, तदेन प्रमंडलीय रोकड़पाल, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सासाराम–2 सम्प्रति सेवानिवृत के विरूद्ध प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधीन दो विखंडित योजनाओं यथा बरांव दिनारा पथ से खैरही पथ एवं पोखरी से मैदानीपुर पथ का अग्रधन के रूप में जमा एन0एस0सी0 संवदेक को अनाधिकृत रूप से लौटाने संबंधी आरोपों (आरोप वर्ष–2012–13) पर आरोप पत्र गठित कर विभागीय पत्रांक 3032 दिनांक 20.12.18 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई। उक्त के प्रसंग में श्री चौधरी द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण दिनांक 29.01.2019 में यह उल्लेख किया गया कि घटना की तिथि 25.09.13 को वे प्रमंडलीय रोकड़पाल के पद पर कार्यरत नहीं थे। उन्होंने दिनांक 15.05.212 से 17.03.2013 तक प्रमंडलीय रोकड़पाल का कार्यभार संचालन किया तथा 18.03.2013 को प्रमंडलीय रोकड़पाल का सम्पूर्ण प्रभार कैस सहित अन्य लेखा लिपिक को सौंप दिया।

2. श्री चौधरी से प्राप्त स्पष्टीकरण के आलोक में एन0एस0सी0 अनाधिकृत रूप से संवेदक को लौटाने के लिए जिम्मेवार लेखा लिपिक/रोकड़पाल को चिन्हित कर मामले से संबंधित स्पष्ट प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निदेश अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल सासाराम को दी गई। अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल सासाराम द्वारा पत्रांक 1414 दिनांक 20.09.19 के माध्यम से विभाग को यह प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया कि प्रश्नगत योजना के अग्रधन एवं जमानत की राशि के रूप में कुल रू0 140000 + 150000 = रू0 290000 मात्र का NSC तत्कालीन कार्यपालक अभियंता एवं तत्कालीन प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी के बिना आदेश एवं हस्ताक्षर प्राप्त किये (अनाधिकृत रूप से) श्री नवल किशोर चौधरी, तदेन प्रमंडलीय रोकड़पाल द्वारा संवेदक श्री लक्ष्मण कुमार सिंह को लौटा दिया गया।

3. मामले के समीक्षोपरान्त श्री चौधरी के स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य पाया गया तथा विभाग को हुए कुल 290000/– रूपये की वित्तीय क्षति के लिए श्री चौधरी को दोषी पाया गया। उक्त के आलोक में श्री चौधरी की सेवा को असंतोषजनक मानते हुए क्यों नहीं वित्तीय क्षति की राशि की वसूली बिहार पेंशन नियमावली के नियम 139 के तहत उनके पेंशन से कर ली जाय, के संबंध में पत्रांक 1734 दिनांक 13.11.2020 द्वारा कारण पृच्छा की गई।

4. श्री चौधरी द्वारा समर्पित बचाव बयान दिनांक 02.12.2020 के समीक्षोपरान्त यह स्पष्ट हुआ कि यद्यपि घटना की तिथि को श्री रमन कुमार मिश्र, प्रमंडलीय रोकड़पाल के पद पर कार्यरत थे परन्तु श्री चौधरी द्वारा समर्पित प्रभार प्रतिवेदन से यह स्पष्ट नहीं होता है कि उनके द्वारा एनएससी से संबंधित रजिष्टर का प्रभार श्री मिश्र को सौंप दिया गया था। इससे स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत एन0एस0सी0 के प्रभारी श्री चौधरी ही थे। उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में श्री चौधरी का बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

5. अतएव अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल सासाराम से प्राप्त प्रतिवेदन एवं उपलब्ध साक्ष्य के समग्र समीक्षोपरान्त श्री चौधरी के बचाव बयान को अस्वीकार करते हुए पेंशन से 10 प्रतिशत प्रतिमाह की कटौती अगले 10 वर्षों तक करने के शास्ति प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया।

(P.N) Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website:- http//rwdbihnic.org, E-mail : secretaryrwdbihar@gmail.com , secy-reo-bih@nic.in

6. अतः उक्त के आलोक में श्री नवल किशोर चौधरी, तदेन प्रमंडलीय रोकड़पाल, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम–2 सम्प्रति सेवानिवृत को बिहार पेंशन नियमावली, के नियम 139 के तहत निम्न दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है:–

(i) अगले दस वर्षों तक पेंशन राशि से प्रतिमाह 10 (दस) प्रतिशत की कटौती।

05.03.21

(कृष्ण मोहन सिंह)
उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–135/13 526 /पटना, दिनांक:– 5.3.21

प्रतिलिपि:– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.03.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–135/13 526 /पटना, दिनांक:– 5.3.21

प्रतिलिपि:– अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल सासाराम–2/ प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–8, ग्रामीण कार्य विभाग/ श्री नवल किशोर चौधरी, तदेन प्रमंडलीय रोकड़पाल, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, सासाराम–2 सम्प्रति सेवानिवृत पत्राचार का पता–द्वारा–सुरेन्द्र प्रसाद, युको बैंक कॉलोनी विग्रहपुर रोड, मीठापुर बस स्टैंड के पास, थाना–जक्कनपुर, पो0–जी0पी0ओ0 पटना–800001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

05.03.21

उप सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ0प्र0–1–135/13 526 /पटना, दिनांक:– 5.3.21

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

05.03.21

उप सचिव